

प्रेषक,

गया प्रसाद कमल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य तथा रसद विभाग, 30प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक 04 मई, 2017

विषय:- रबी विपणन वर्ष 2017-18 हेतु 23000 गांठ जूट बोरों के क्रय के लिये अग्रिम आहरण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-1175/मु0वि0अ0/700/बोरा/ र0वि0व/ 2017-18 दिनांक 28 मार्च, 2017 एवं अ0शा0पत्रांक-1382/ दिनांक 10 अप्रैल, 2017 तथा पत्र संख्या-1847/मु0वि0अ0/700/बोरा/र0वि0व/2017-18 दिनांक 01 मई, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान रबी विपणन वर्ष 2017-18 में जूट कमिशनर, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) से 23,000 (तेइस हजार) मात्र गांठ जूट बोरों (50 किलो ग्राम की भर्ती) को नियमानुसार क्रय किया जाय, जिसके लिये श्री राज्यपाल महोदय 23,000 (तेइस हजार) मात्र गांठ जूट बोरों के नियमानुसार क्रय किये जाने के प्रयोजनार्थ जूट कमिशनर, कोलकाता को भुगतान के लिये परिवहन व्यय सहित रू0 29,465.81/- प्रति गांठ की दर से धनराशि रू0 67,77,13,630.00 (रू0 सरसठ करोड़ सतहत्तर लाख तेरह हजार छ सौ तीस) मात्र के अग्रिम आहरण की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उपरोक्तान्कित अग्रिम धनराशि का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1, 30प्र0 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25 अक्टूबर, 1983 तथा शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10 जून, 2011 में निहित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन स्वीकृत किया जायेगा। उपरोक्त आहरित किये जा रहे अग्रिम के विरुद्ध नियमानुसार गांठों की आपूर्ति परिवहन व्यय के आधार पर अग्रिम धनराशि का समायोजन करते हुए सुनिश्चित की जायेगी।
- (2) दिनांक 31-03-2018 तक उक्त स्वीकृत अग्रिम धनराशि का नियमानुसार व्यय/समायोजन अवश्य प्रस्तुत कर दिया जायेगा तथा पूर्व के अवसर/अवसरों पर आहरित अग्रिम का नियमानुसार समायोजन, गांठ बोरों की आपूर्ति/भण्डारण/उपयोग की सुदृढ़ व्यवस्था तथा जिन मामलों में आंतरिक सम्प्रेक्षा द्वारा अनियमितताएं पाई गयी हैं उनमें नियमानुसार कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण की जाये व शासकीय क्षति की प्रतिपूर्ति भी कराते हुए रिपोर्ट शासन को उक्त निर्धारित सीमा तक अवश्यक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (3) वित्त नियंत्रक द्वारा आंतरिक सम्प्रेक्षा रिपोर्ट वित्त विभाग के अवलोकनार्थ तत्काल उपलब्ध करायी जाय।
- (4) आवश्यकतानुसार बोरों की संख्या गुणवत्ता एवं दरों का सत्यापन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (5) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा। इण्डेन्ट आदि की कार्यवाही आयुक्त, खाद्य एवं रसद द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- 2- क्रय किये जा रहें बोरे की गुणवत्ता एवं मात्रा सुनिश्चित की जायेगी।
- 3- कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार समुचित कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराते हुये शासन को भी अवगत कराया जाय।
- 4- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्षक 4408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डारागार पर पूजीगत परिव्यय-01 खाद्य-101 अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-03-अन्नपूर्ति योजना-43 सामग्री और सम्पूर्ति के नामें डाला जायेगा।
- 5- यह आदेश वित्त विभाग के शासकीय संख्या- 154/दस-2017, दिनांक 03 मई 2017 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

गया प्रसाद कमल
विशेष सचिव।

संख्या- 12/2017/365 (1)/29-5-2017-30-(1)/15 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव भारत सरकार, उपभोक्त मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग नई दिल्ली
- 2- महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली ।
- 3- महालेखाकार (आडिट) प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 4- जूट आयुक्त, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स तृतीय एम0एस0ओ0 भवन सेक्टर-1 साल्टलेक सिटी कोलकाता।
- 5- अपर आयुक्त, (विपणन)खाद्य तथा रसद विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
- 6- वित्त नियंत्रक, खाद्य तथा रसद विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (लेखा) अनुभाग-1, 30प्र0 शासन।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

धर्म चन्द्र पाण्डेय
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।